28-7-17

वकील उभयपक्ष उपरा वादी के वाद को प्रत्याहृत कर लिया है इस कारण वादी का वाद खारिज किया जा चुका है यह प्रार्थनापत्र निष्फल हो चुका है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली फैशलाशुदा होकर शामिल मूल पत्रावली हो।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर